

राज्य में स्थापति होंगे लगभग 1000 परविहन सुवधि केंद्र

चर्चा में क्यों?

7 अप्रैल, 2022 को छत्तीसगढ़ में परविहन संबंधी सेवाओं को आसान और घर के नकट उपलब्ध कराने के लिये राज्य भर में लगभग 1000 परविहन सुवधि केंद्र खोलने की प्रक्रिया को मंजूरी मलि गई है।

प्रमुख बदि

- उल्लेखनीय है कपरविहन संबंधी सेवाओं में वसितार के लिये राज्य भर में परविहन सुवधि केंद्र की स्थापना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते 26 जनवरी को घोषणा की थी।
- इस दौरान परविहन सुवधि केंद्र की स्थापना और भूमिका को लेकर परविहन वभिग की ओर से प्रारूप तैयार कयिा गया। इस प्रारूप को अनुमोदति कर आगे की कार्यवाही के लिये प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। 1000 परविहन सुवधि केंद्रों की स्थापना से करीब पाँच हज़ार युवाओं के रोज़गार सृजन की संभावना भी बनेगी।
- 31 मार्च, 2021 को जारी भारत सरकार के राजपत्र क्रमांक 240(अ) के अनुसार लरन्गि लाइसेंस बनाने के लिये परविहन सुवधि केंद्र को अधकृत कयिा जा सकता है। इस परकिल्पना को रोज़गारोन्मुखी स्वरूप देने के लिये छत्तीसगढ़ में परविहन सुवधि केंद्र की स्थापना का नरिणय लयिा गया है।
- परविहन सुवधि केंद्रों में लरन्गि लाइसेंस के अलावा अन्य परविहन संबंधी सेवा के लिये आवेदन कयिा जा सकेगा। इससे जहाँ आम जनता को आसानी से और घर से नकट परविहन संबंधी सेवाएँ उपलब्ध होंगी, वही शक़िषति युवा बेरोज़गारों को रोज़गार भी मलिगा। मार्गदर्शिका में परविहन सुवधि केंद्रों में वभिन्नि सेवाओं के लिये शुल्क भी नरिधारति कयिा गया है।
- अब तक सही जानकारी के अभाव में बड़ी संख्या में लोग अनधकृत एजेंटों से संपर्क कर परविहन संबंधी सेवा के लिये आवेदन करते रहे हैं, जसिसे उन्हें समय अधकि लगने के साथ ही आर्थकि नुकसान भी उठाना पड़ता रहा है। अब परविहन संबंधी सुवधिओं के लिये अनधकृत एजेंटों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी।